न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट), गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-1001/2026

अनिरुद्ध यादव पुत्र हरिद्वार यादव, उम्र-55 वर्ष, निवासी-मौजा जंगल तिनकोनिया नं०-1, टोला केवटहिया, थाना-पिपराइच, जनपद-गोरखपुर। **............आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार **.....................विपक्षी**

सत्रवाद सं०-1554/2023
मु०अ०सं०-940/2020
धारा-138(1)बी विद्युत अधिनियम, 2003
थाना-एंटी पावर थेफ्ट गोरखपुर, जिला-गोरखपुर।

आवेदक/अभियुक्त अनिरुद्ध यादव द्वारा उपरोक्त प्रकरण मे प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

अभियोजन कथनाक के अनुसार दिनांक 02.11.2020 को वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक निर्भय नारायण सिंह द्वारा प्रवर्तन दल गोरखपुर टीम के साथ अभियुक्त के आवास/परिसर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अभियुक्त द्वारा बकाया विच्छेदन के बावजूद विद्युत बिल जमा किये पुनः जोड़कर अवैध रूप से विद्युत चोरी करते पाया गया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में उल्लिखित तथ्यों के अनुरूप यह कथन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त को रंजिशन फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त घरेलू विद्युत का उपभोक्ता है तथा सभी बिल का भुगतान करता चला आ रहा है कोई बकाया नहीं है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा विद्युत चोरी नहीं किया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध किया गया।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि आवेदक/अभियुक्त पर विद्युत चोरी का अभियोग लगाया गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा बिजली का समस्त बिल जमा किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त पर अधिरोपित अपराध 7 वर्ष से कम सजा से दण्डनीय है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण-दोष पर विचार व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त अनिरुद्ध यादव द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-1001/2026 मु० 20,000/- रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की एक प्रतिभू दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता है-

1. आवेदक/अभियुक्त घटना से अवगत साक्षियों को डरायेगा, धमकायेगा नहीं तथा मामले के विचारण में सहयोग करेगा।

2. विचारण के दौरान आवेदक/अभियुक्त प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा तथा मामले के विचार में विलंब कारित नहीं करेगा।

3. विचारण के दौरान साक्ष्यिों के उपस्थित होने पर आवेदक/अभियुक्त अनावश्यक स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मामले को विलंबित नहीं करेगा।

4. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अभियोजन पक्ष/सूचनादाता आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं।

दिनांक-10.03.2026

(सिद्धार्थ सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(ई०सी० एक्ट), गोरखपुर।
J.O. Code-UP6318

Digitally signed by SIDDHARTH SINGH
Date: 2026.03.11 10:08:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court